सं0 2612 /52–3–2015–सा(47)/13

प्रेषक,

मो0 शफ़कत कमाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 04 नवम्बर, 2015

विषयः– प्रदेश के मान्यता/सहायता प्राप्त अरबी–फारसी मदरसों में जहाँ प्रबन्धकीय विवाद है, में एकल संचालन व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0831/अ.स.क.नि.–जॉ.प्र./2014, दिनॉक 10.06.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मान्यता/सहायता प्राप्त अरबी–फारसी मदरसों में जहॉ प्रबन्धकीय विवाद है, वहॉ पर निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जाय :–

"प्रबन्धकीय विवाद/शासकीय अनुदान का दुरुपयोग या दुर्विनियोग होने पर मदरसे में निरीक्षक, अरबी–फारसी, उ0प्र0 की अनुमति से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा मदरसे का एकल संचालन किया जायेगा। एकल संचालन होने की दशा में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा मदरसे में विधियत रुप से नियुक्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि/मानदेय की धनराशि का भुगतान समय से किया जायेगा। मदरसे में एकल संचालन का आधार समाप्त होने पर निरीक्षक, अरबी मदरसा उ0प्र0 द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के संदर्भित करने पर एकल संचालन समाप्त कर दिया जायेगा। मदरसे में एकल संचालन का कार्यकाल अधिकतम छः माह तक होगा।विशेष परिस्थितियों में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 द्वारा आवश्यकतानुसार एकल संचालन का कार्यकाल बढ़ाया जायेगा।"

3– कृपया उपर्युक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मो0 शफ़कत कमाल)
विशेष सचिव।

सं0 (1)/52–3–15–तद्‌दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग।
3– समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4– समस्त मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
5– समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6– रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(मो0 शफ़कत कमाल)
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner